आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या– 45/2018–19

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

ललीता कुंवर .... प्रथम पक्ष

बनाम

रामप्रसाद सिंह वगैरह .... द्वितीय पक्ष

21.02.2019

यह प्रक्रिया आवेदिका ललीता कुंवर पति – स्व0 प्रदीप सिंह, ग्राम– कटैया, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने 1. रामप्रसाद सिंह पिता– रामदेव सिंह, 2. लक्ष्मीनीया देवी पति– रामप्रसाद सिंह, 3. दुलारी देवी पिता– रामप्रसाद सिंह, 4. गुड्डू सिंह, 5. विदेश्वर सिंह, 6. सुदर्शन सिंह तीनो के पिता– रामप्रसाद सिंह सभी ग्राम– कटैया, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया था, जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांक 1255 दिनांक 29.11.2018 के द्वारा थाना प्रभारी, हरिहरगंज से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गयी। थाना प्रभारी, हरिहरगंज ने अपने डी0आर0 न0– 1476/18

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2	

दिनांक— 06.12.2018 के द्वार जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति— व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है मौजा— ठारघाट, खाता सं0— 6, प्लॉट सं0— 45, रकबा— 1.14 एकड़ चौहद्दी उतर— सरयू सिंह, दक्षिण— विरेन्द्र सिंह, पूरब— मो0 ईस्लाम अंसारी, पश्चिम— जगदीश सिंह के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि यह प्रकिया मौजा— ठारघाट, खाता सं0— 6, प्लॉट सं0— 45, रकबा— 1.14 एकड़ चौहद्दी उतर— सरयू सिंह, दक्षिण— विरेन्द्र सिंह, पूरब— मो0 ईस्लाम अंसारी, पश्चिम— जगदीश सिंह प्रारम्भकर अभय पक्ष को नोटिस निर्ग किया गया। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित —

21/2/19

(4)

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

हुए। ललीता कुंवर के ददीया ससुर का नाम रामदेव सिंह था और रामदेव सिंह के जो संपति थी उस पर रामदेव सिंह का शांतिपूर्वक दखल– कब्जा एवं स्वामित्व कायम हुआ और रामदेव सिंह के मृत्यु के बाद उनके पुत्र रामप्रसाद सिंह एवं सरयू सिंह दखल– कब्जा में आये तथा सरयू सिंह के नावल्द मृत्यु होने के कारण निर्विवाद दखल– कब्जा एवं स्वामित्व रामप्रसाद सिंह का कायम हुआ। रामप्रसाद सिंह के पुत्र 1. प्रदीप सिंह, 2. गुड्डू सिंह, 3. विमलेश्वर सिंह, 4. सुदर्शन सिंह एवं पुत्री दुलारी देवी हैं। प्रदीप सिंह की मृत्यु हो चुकी है, प्रदीप सिंह के मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नि ललीता कुंवर जो इस वाद में प्रथम पक्ष है। रामप्रसाद सिंह के संपति जो चल एवं अचल है उसमें ललीता कुंवर जो प्रदीप सिंह की विधवा पत्नि है वो 1/5 के हिस्सेदार है और भरण पोषण के लिए अपने ससुर रामप्रसाद सिंह से दावा करती है तो रामप्रसाद सिंह और उनके तीनो पुत्रों एवं पुत्री प्रथम पक्ष से मारपीट एवं झगड़ा– झंझट करने लगते हैं और प्रथम पक्ष को घर से निकाल कर ताला बंद कर दिये हैं।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि यह प्रकिया मौजा– ठारघाट,

21/2/19

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्यवा टिप्पण सहित
1	2	

खाता सं0— 6, प्लॉट सं0— 45, रकबा— 1.14 एकड़ भूमि पर प्रारम्भ किया गया है। प्रकिया भूमि उभय पक्ष की खतियानी भूमि है तथा उक्त भूमि का मांग उभय पक्ष के पूर्वज के नाम से चल रही है। उक्त भूमि का बटवारा उभय पक्ष के बीच आज तक नहीं हुआ है। द्वितय पक्ष के सदस्य सं0— 01. रामप्रसाद सिंह एवं सदस्य सं0— 02. लक्ष्मीनिया देवी के चार पुत्र एवं एक पुत्री है। द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0— 06 अभी भी अविवाहीत हैं तथा विवादित भूमि में अवासीय मकान को छोड़ शेष भूमि पर अभि भी रामप्रसाद सिंह का दखल— कब्जा है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है जिसका निराकरण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यदि प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते है, साथ ही धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.30 15:54:10 +05:30
Location: 192.168.238.105

21/2/19

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

21/2/19

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।